प्रेस विज्ञप्ति

समस्त ग्रामवासी लोहारी (लखवाड़), तहसील कालसी, जिला देहरादून।

आपको दिनांक 08–04–2022 को निम्न सूचना से अवगत कराया गया था।

व्यासी परियोजना (120 मे0वा0) से प्रभावित ग्राम लोहारी के परिवारों को सूचित किया जाता है कि यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा तत्काल अस्थाई रूप से 12 आवासीय भवनों की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त मैसर्स जी0ई0सी0पी0एल0 के फील्ड हॉस्टल में अस्थाई आवास की सुविधा उपलब्ध है। इन सभी आवासीय स्थलों पर बिजली, पानी, शौचालय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध है। जिन प्रभावित परिवारों द्वारा स्वयं आवास की व्यवस्था की जायेगी उनको जिलाधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा आहूत बैठक दिनांक 03–04–2022 में बिन्दु सं0 3 के क्रम में निर्धारित मासिक किराया रू0 3000 के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित बाजार भाव के अनुसार मासिक किराया (बिना पशुपालन वाले को) रू0 7000 तथा पशुपालन वाले को रू0 8000 दिया जाना प्रस्तावित है। उपजिलाधिकारी कालसी की सर्वेक्षण शीट के अनुसार ग्राम लोहारी में 20 पशुबाड़े दर्शाये गये है। अतः जिन परिवारों के सर्वेक्षण शीट में पशुबाड़े अंकित है उन्हीं परिवारों (पशुबाड़े का स्वामित्व तस्दीक हो जाने पर) को किराये के रूप में रू0 8000 का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा वर्तमान में छः माह तक जारी रखना प्रस्तावित है। प्रभावित परिवारों की सहमति के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात प्रभावित परिवारों को उक्त किराया भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। जिन परिवारों द्वारा अस्थायी आवंटित आवास की सुविधा का उपभोग नहीं किया जाता तो वह परिवार भी मासिक किराये का लाभ लेने के हकदार होंगें।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के तहत अस्थाई रूप से उपलब्ध कराये गये आवासों में निवास किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांकः– 12–04–2022

पुनर्वास अधिकारी
लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना
डाकपत्थर / उपजिलाधिकारी, विकासनगर